अनुदान संख्या 91 – वस्त्र मंत्रालय
GRANT No. 91–MINISTRY OF TEXTILES

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	2811,20,00	4774,91,00	4627,55,76	–147,35,24
पूरक	Supplementary	1963,71,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				125,96,94
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	325,48,00	325,50,00	309,63,73	–15,86,27
पूरक	Supplementary	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				14,53,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''3451'' सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat-Economic Services				
मू.	O.	950.00	900.00	783.26	–116.74
पु.	R.	–50.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	22200.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–22200.00			
मुख्य शीर्ष "2851" ग्राम तथा लघु उद्योग	Major Head "2851" Village and Small Industries				
मू.	O.	70590.00			
पू.	S.	1.00	67968.93	66942.49	–1026.44
पु.	R.	–2622.07			
मुख्य शीर्ष "2852" उद्योग	Major Head "2852" Industries				
मू.	O.	183125.00			
पू.	S.	196370.00	380971.84	380011.05	–960.79
पु.	R.	1476.84			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	4055.00	14953.29	14953.29	. .
पु.	R.	10898.29			

(I) 23315.00 लाख रु. का प्रावधान चौबीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 22705.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" -

(क) "ग्राम एवं लघु उद्योग - हथकरघा उद्योग" -

(I) Provision of Rs.23315.00 lakhs remained wholly unutilised under twenty four heads; of these Rs.22705.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" -

(a) "Village and Small Industries- Handloom Industries" -

(i) ''हथकरघा विकास'' - 300.00 लाख रु.;

(ii) ''एकीकृत हथकरघा विकास स्कीम'' - 2000.00 लाख रु.;

(iii) ''हथकरघा बुनकर बृहत कल्याण स्कीम'' - 4000.00 लाख रु.;

(ख) ''ग्राम एवं लघु उद्योग - हस्तशिल्प उद्योग'' -

(i) ''डिजाइन और तकनीकी उन्नयन'' - 300.00 लाख रु.;

(ii) ''कल्याण और अन्य स्कीमें'' - 1900.00 लाख रु.;

(iii) ''बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प योजना'' - 800.00 लाख रु.;

(iv) ''विपणन सहायता सेवाएं'' - 800.00 लाख रु.;

(v) ''मानव संसाधन विकास'' - 300.00 लाख रु. ;

(ग) ''ग्राम एवं लघु उद्योग - रेशम उत्पाद उद्योग - रेशम उद्योग के विकास के लिए अनुदान'' - 4000.00 लाख रु.; और

(घ) ''उपभोक्ता उद्योग - अन्य - जूट प्रौद्योगिकी मिशन'' - 800.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दस शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों/आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ङ) ''उपभोक्ता उद्योग - वस्त्र'' -

(i) ''परिधान पार्क के लिए एकीकृत स्कीम'' - 2500.00 लाख रु. ;

(ii) ''प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम'' - 3400.00 लाख रु.; और

(i) "Handloom Development" - Rs.300.00 lakhs;

(ii) "Integrated Handloom Development Scheme" - Rs.2000.00 lakhs;

(iii) "Handloom Weavers Comprehensive Welfare Scheme" - Rs.4000.00 lakhs;

(b) "Village and Small Industries- Handicrafts Industries" -

(i) "Design and Technical Upgradation" - Rs.300.00 lakhs;

(ii) "Welfare and Other Schemes" -Rs.1900.00 lakhs;

(iii) " Baba Saheb Ambedkar Hastshilp Yojana" - Rs.800.00 lakhs;

(iv) "Marketing Support Services" -Rs.800.00 lakhs;

(v) "Human Resource Development" - Rs.300.00 lakhs;

(c) "Village and Small Industries- Sericulture Industries- Grants towards Development of Silk Industry" - Rs.4000.00 lakhs; and

(d) "Consumer Industries - Others - Jute Technology Mission" - Rs.800.00 lakhs.

Provisions under the above ten heads remained unutilised due to re-appropriation of funds/part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(e) "Consumer Industries - Textiles" -

(i) "Integrated Scheme for Apparel Park" - Rs.2500.00 lakhs;

(ii) "Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS)" - Rs.3400.00 lakhs; and

(iii) ''कपास प्रौद्योगिकी मिशन'' - 1000.00 लाख रु.।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2852'' - ''उपभोक्ता उद्योग - वस्त्र - ब्रांड संवर्धन'' - 500.00 लाख रु. स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(गा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय योजना स्कीमों को अनुदान - ग्राम तथा लघु उद्योग - हथकरघा उद्योग - भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना'' - 105.00 लाख रु. राज्य सरकारों से भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष ''2852'' - ''उपभोक्ता उद्योग - अन्य - जूट'' के अंतर्गत 14520.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 50965.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 65485.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो कार्यान्वयन अभिकरणों से कम मांग प्राप्त होने के कारण 3527.98 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय - वस्त्र मंत्रालय'' के अंतर्गत 166.74 लाख रु. की बचत (950.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(IV) मुख्य शीर्ष ''2851'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''हथकरघा उद्योग'' -

(क) ''बुनकर सेवा केंद्र'' - 147.87 लाख रु. की बचत (1700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुईं।

(iii) "Cotton Technology Mission" - Rs.1000.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilised due to non-receipt of proposals from North Eastern States including Sikkim for projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head "2852" - "Consumer Industries - Textiles - Brand Promotion" - Rs.500.00 lakhs - due to non-approval of the scheme.

(C) Major Head "3601" – "Grants for Central Plan Schemes – Village and Small Industries – Handloom Industries – Setting up of Indian Institute of Handloom Technology" – Rs.105.00 lakhs – due to non-receipt of proposal for setting up of Indian Institute of Handloom Technology from State Governments.

(II) Under Major Head "2852" – "Consumer Industries – Others – Jute" – the original provision of Rs.14520.00 lakhs was augmented to Rs.65485.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.50965.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.3527.98 lakhs – due to receipt of less demand from implementing agencies.

(III) Under Major Head "3451" – "Secretariat – Ministry of Textiles" – saving of Rs.166.74 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.950.00 lakhs); and

(IV) Under Major Head "2851" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Handloom Industries" -

(a) "Weavers Service Centre" - saving of Rs.147.87 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1700.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(ख) ''एकीकृत हथकरघा विकास स्कीम'' - 8905.75 लाख रु. की बचत (10000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधीयन के स्वरूप मे परिवर्तन किए जाने और लंबित देनदारियों का समाशोधन किए जाने के कारण हुई।

(ग) ''विविधीकृत हथकरघा विकास स्कीम'' - 598.29 लाख रु. की बचत (1195.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और कार्यान्वयन अभिकरणों से कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) ''हस्तशिल्प उद्योग'' -

(क) ''प्रशिक्षण और विस्तार'' - 345.16 लाख रु. की बचत (2300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''कल्याण और अन्य स्कीमें'' - 571.47 लाख रु. की बचत (8002.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को देर से अनुमोदन प्रदान किए जाने और विज्ञापनों के लिए निधियो की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ग) ''बाबा साहेब अंबेडकर हस्तशिल्प योजना'' - 168.97 लाख रु. की बचत (3600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को देर से अनुमोदन प्रदान किए जाने के कारण हुई।

(घ) ''अनुसंधान और विकास'' - 297.25 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पर्याप्त दर सूची प्राप्त न होने/दरों में असमानता होने की वजह से दो क्षेत्रों के संबंध में जनगणना निविदाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष ''2852'' - ''उपभोक्ता उद्योग - वस्त्रा'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''अनुसंधान और विकास के लिए सहायता'' - 1051.00 लाख रु. की बचत (मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 3772.85

(b) “Integrated Handloom Development Scheme” - saving of Rs.8905.75 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10000.00 lakhs) was due to change in funding pattern and clearance of pending liabilities.

(c) “Diversified Handloom Development Scheme” - saving of Rs.598.29 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1195.00 lakhs) was due to non- filling up of vacant posts and receipt of less proposals from the implementing agencies.

(B) “Handicrafts Industries” -

(a) “Training and Extension” - saving of Rs.345.16 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2300.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(b) “Welfare and Other Schemes” - saving of Rs.571.47 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8002.00 lakhs) was due to late approval of the scheme and less requirement of funds for advertisements.

(c) “Baba Saheb Ambedkar Hastshilp Yojana” - saving of Rs.168.97 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3600.00 lakhs) was due to late approval of scheme.

(d) “Research and Development” - saving of Rs.297.25 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to non-finalisation of census tenders for two regions owing to non-receipt of sufficient quotations/disparity in rates.

(V) Under Major Head “2852” - “Consumer Industries – Textiles” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Assistance for Research and Development” - saving of Rs.1051.00 lakhs (against the total sanctioned provision of

लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के भवन योजना को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

Rs.3772.85 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in March, 2008) was due to non-finalisation of Building Plan of National Institute of Fashion Technology.

(खा) ''मूल्य समर्थन के अंतर्गत भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की अधिप्राप्ति'' - 14165.16 लाख रु. की बचत (17000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कपास का मूल्य बाजार समर्थन मूल्य से अधिक होने की वजह से भारतीय कपास निगम द्वारा मूल्य समर्थन प्रक्रिया में कम हस्तक्षेप किए जाने के कारण हुई।

(B) "Procurement of Cotton by Cotton Corporation of India under Price Support" - saving of Rs.14165.16 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.17000.00 lakhs) was due to less intervention of Cotton Corporation of India in price support operation owing to price of Kapas being above the Market Support Price.

(गा) ''ईएमडी/बीजी को समपहृत राशि की तुलना में एईपीसी को सहायता'' - 317.88 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लंबित दावों के निपटान की वजह से परिधान निर्यात संवर्धन परिषद से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(C) "Assistance to AEPC against forefeited amount to EMD/BG" - saving of Rs.317.88 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to receipt of less claims from Apparel Export Promotion Council owing to settlement of pending claims.

(घा) ''एकीकृत वस्त्र पार्क'' - 5383.73 लाख रु. की बचत (नवंबर, 2007 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 42501.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को देर से अनुमोदन प्रदान किए जाने के कारण हुई।

(D) "Integrated Textile Parks" - saving of Rs.5383.73 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.42501.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in November, 2007) was due to late approval of the scheme.

(ङ) ''कपास निर्यात'' - 309.40 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को बंद किए जाने के कारण हुई।

(E) "Cotton Export" - saving of Rs.309.40 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to closure of the scheme.

(VI) चार शीर्षो के अंतर्गत 301.27 लाख रु. की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक लेकिन 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत से 27 प्रतिशत तक थीं।

(VI) Under four heads savings of Rs.301.27 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 12 percent to 27 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान के बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (27525.45 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत नवंबर, 2007 और मार्च, 2008 में 196371.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

2.(I) The above savings were partly (Rs.27525.45 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of Rs.196371.00 lakhs in November, 2007 and March, 2008 under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2851'' -

(क) ''हथकरघा उद्योग - हथकरघा विकास'' - 823.45 लाख रु. । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 805.07 लाख रु. था।

(ख) ''हस्तशिल्प उद्योग - मानव संसाधन विकास'' - 232.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 204.59 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2852'' - ''उपभोक्ता उद्योग - वस्त्र'' -

(क) ''वस्त्र मजदूर पुनर्वास स्कीम'' - 2484.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2483.00 लाख रु. था।

(ख) ''प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम'' - 23237.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 23131.84 लाख रु. था।

(ग) ''सरदार वल्लभ भाई पटेल वस्त्र प्रबंधन संस्थान को सहायता'' - 418.00 लाख रु.।

(घ) ''सूरत में बाढ़ प्रभावित वस्त्र इकाइयों को राहत पैकेज'' - 331.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 330.94 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2851'' -

(क) ''हथकरघा उद्योग - हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण स्कीम'' - 2656.67 लाख रु. का अधिक व्यय (9000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) ''रेशम उत्पादन उद्योग - केंद्रीय रेशम बोर्ड'' - 4000.00 लाख रु. का अधिक व्यय (17800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(A) Major Head "2851" -

(a) "Handloom Industries - Handloom Development" - Rs.823.45 lakhs. Actual excess, however, was Rs.805.07 lakhs.

(b) "Handicrafts Industries – Human Resource Development" – Rs.232.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.204.59 lakhs.

(B) Major Head "2852" - "Consumer Industries - Textiles" –

(a) "Textile Labour Rehabilitation Scheme" - Rs.2484.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2483.00 lakhs.

(b) "Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS)" – Rs.23237.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.23131.84 lakhs.

(c) "Assistance to Sardar Vallabhbhai Patel Institute of Textile Management" – Rs.418.00 lakhs.

(d) "Relief Package to Flood affected Textiles Units in Surat" – Rs.331.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.330.94 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2851" -

(a) "Handloom Industries – Handloom Weavers Comprehensive Welfare Scheme" - excess of Rs.2656.67 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9000.00 lakhs); and

(b) "Sericulture Industries - Central Silk Board" - excess of Rs.4000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.17800.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - ग्राम तथा लघु उद्योग - हथकरघा उद्योग" -

(B) Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Village and Small Industries - Handloom Industries" -

(क) "हथकरघा बुनकर व्यापक स्कीम" - 953.29 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) "एकीकृत हथकरघा विकास स्कीम" - 9950.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(a) "Handloom Weavers Comprehensive Scheme" - excess of Rs.953.29 lakhs (against nil provision); and

(b) "Integrated Handloom Development Scheme" - excess of Rs.9950.00 lakhs (against nil provision).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय निधीयन के स्वरूप में बदलाव किए जाने और लंबित देयताओं का समाशोधन किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above two heads was due to change in funding pattern and clearance of pending liabilities.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	200.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–200.00			
मुख्य शीर्ष "4851" ग्राम और लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4851" Capital Outlay on Village and Small Industries				
मू.	O.	2000.00	749.00	616.73	–132.27
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	–1252.00			
मुख्य शीर्ष "6860" उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6860" Loans for Consumer Industries		30347.00	30347.00	. .

(I) 452.00 लाख रु. का प्रावधान (एक शीर्ष के अंतर्गत नवंबर, 2007 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 450.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष ''4552'' - ''ग्राम एवं लघु उद्योग - हस्तशिल्प उद्योग - हस्तशिल्प भवन के लिए भवन'' - 200.00 लाख रु. पूर्वोत्तर राज्यों/कार्यान्वयन अभिकरणों से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष ''6860'' - ''वस्त्र - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - दि एल्गिन मिल्स कम्पनी लिमिटेड'' - 250.00 लाख रु. कंपनी को सरकारी सहायता का अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''4851'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''हथकरघा उद्योग - विपणन और निर्यात संवर्धन कार्यक्रम'' - 894.54 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को देर से अनुमोदन प्रदान किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''हस्तशिल्प उद्योग - हस्तशिल्प भवन सहित भवन का निर्माण'' - 583.73 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम से पूंजीगत परियोजनाओं के लिए व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

4.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (113.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''4851'' - ''हथकरघा उद्योग - बुनकर सेवा केंद्र/भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए अवसंरचना'' के अंतर्गत मार्च, 2008 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 94.00 लाख रु. था।

(I) Provision of Rs.452.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in November, 2007 under one head) remained wholly unutilised under four heads; of these Rs.450.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "4552" - "Village and Small Industries – Handicrafts Industries – Building for Handicrafts Bhawan" - Rs.200.00 lakhs – due to non-receipt of proposals from North Eastern States/implementing agencies.

(B) Major Head "6860" - "Textiles - Loans to Public Sector and Other Undertakings – The Elgin Mills Company Limited" - Rs.250.00 lakhs - due to non-approval of Government assistance to the Company.

(II) Under Major Head "4851" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Handloom Industries - Marketing and Export Promotion Programme" - saving of Rs.894.54 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to late approval of the scheme.

(B) "Handicrafts Industries - Construction of Building including Handicraft Bhawan" - saving of Rs.583.73 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals for capital projects from North Eastern Region and Sikkim.

4.(I) The above savings were partly (Rs.113.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in March, 2008 under Major Head "4851" - "Handloom Industries – Infrastructure for Weavers Service Centre/Indian Institute of Handloom Technology". Actual excess, however, was Rs.94.00 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''6860'' - ''वस्त्र - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - राष्ट्रीय वस्त्र निगम'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - 250.00 लाख रु. का अधिक व्यय (6000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अतिरिक्त स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए अधिक निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "6860" - "Textiles - Loans to Public Sector and Other Undertakings – National Textile Corporation" - excess of Rs.250.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6000.00 lakhs) was due to requirement of more funds to meet additional establishment expenditure.